



# समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवाईसी संबंधित यूजर मैनुअल

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड  
एमपीएसईडीसी द्वारा विकसित




## परिचय


1.समग्र पोर्टल के माध्यम से आधार ई-केवाईसी किया जा सकता है।

### चरण 1: ई-केवाईसी कैसे करें?

- ई-केवाईसी करने के लिए, आवेदक वेब ब्राउजर में निम्न वेबसाइट यूआरएल दर्ज करें। <https://samagra.gov.in>
- समग्र यूआरएल ओपन करने पर नीचे दर्शाई स्क्रीन के अनुसार होम पेज खुलेगा |



### चरण 2: ई-केवाईसी करें क्लिक करने के बाद आवेदक अपनी समग्र आईडी दर्ज करें।




### चरण 3: समग्र आईडी न होने की स्थिति में निम्न संदेश प्राप्त होगा।


## अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें




**चरण 4:** दिए हुए बॉक्स में केप्चा भरें और खोजे बटन पर क्लिक करते ही आपको समग्र में जुड़ा हुआ आप मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपकी समग्र आईडी पर ई-केवाईसी की जा चुकी है इस स्थिति में आपको निम्न संदेश प्राप्त होगा यदि आपके द्वारा आधार डाटा में कुछ संशोधन कराया गया है तभी पुनः ई-केवाईसी करें अन्यथा पुनः ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं है।



**चरण 5:** दिए हुए बॉक्स में केप्चा भरें और खोजे बटन पर क्लिक करते ही आपको समग्र में जुड़ा हुआ आप मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाएगा। यदि आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो कृपया अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर ओटीपी के लिए अनुरोध किया जा सकता है।



कृपया अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें जिससे आप अपने आधार को लिंक करना चाहते हैं



**चरण 6 :** उपयोगकर्ता अपना मोबाइल नंबर,अपडेट बटन पर क्लिक करके बदल सकता है। एक बार अपडेट बटन पर क्लिक करने के बाद, नया मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा।

सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें

मोबाइल नंबर जो की समग्र में पंजीकृत है

अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें

अपडेट करें

ओटीपी भेजे

सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें

आवेदक नया मोबाइल नंबर दर्ज क्लिक करें

अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें

ओटीपी भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें

अपडेट करें

ओटीपी भेजे

**चरण 7 :** ओटीपी भेजे पर क्लिक करके आवेदक को प्रविष्ट मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जावेगा।

सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें

अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें

Re-send OTP after : 23

आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें

**सुरक्षित करें**

सुरक्षित करें पर क्लिक करें

**चरण 8 :** सुरक्षित करें क्लिक करने पर आवेदक को आधार संख्या दर्ज करने के विकल्प से ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरी किया जा सकता है।

1. ओटीपी द्वारा
2. बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) द्वारा

**महत्वपूर्ण सूचना :**

- आप अपने समग्र आईडी के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं।
- ई-केवाईसी के माध्यम से आप अपने नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन हेतु सीधे अनुरोध कर सकते हैं।
- यदि आप ई-केवाईसी के माध्यम से अपने नाम, जन्मतिथि एवं लिंग में परिवर्तन हेतु अनुरोध करते हैं, तो आपका अनुरोध जल्द से जल्द और प्राथमिकता से संसाधित हो जाएगा।
- आधार गलत डालने/ प्रविष्ट करने के प्रकरण पाये जाने पर आधार एक्ट के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

**व्यक्तिगत जानकारी**

समग्र आईडी	परिवार आईडी	नाम	लिंग

महत्वपूर्ण सूचना : गलत या किराी और व्यक्ति का आधार नंबर प्रविष्ट / उपयोग या रज्यापन करना आधार एक्ट, २०१६ के अध्याय ६ के अनुसार दंडनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आधार एक्ट, २०१६ के अनुसार तीन साल की कैद या रूपये दस हजार, या दोनों दंड का प्रावधान है।

आधार  वर्चुअल आईडी

- आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
- वर्चुअल आईडी (VID) एक अस्थायी, प्रतिसंरणीय 16-अंकीय 'रैडम' संख्या है जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया जाता है। जब भी 'प्रमाणीकरण' या ई-केवाईसी सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है, तो आधार संख्या के बदले वीआईडी का उपयोग किया जा सकता है। आधार संख्या का उपयोग करने के समान तरीके से VID का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जा सकता है। VID से आधार संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है।

अपना आधार नंबर दर्ज करें

ओटीपी द्वारा  बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) द्वारा

**आधार संख्या दर्ज करें**

मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक, और/या वन टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ की समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता/देती हूँ।

**आधार से ओटीपी का अनुरोध करें**

**चरण 9 :** आधार से रजिस्टर मोबाईल नंबर पर आवेदक को एसएमएस भेज दिया जावेगा।



**चरण 10 :** मोबाईल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए “स्वीकार करें” बटन पर क्लिक करें।



**चरण 11 :** बायोमेट्रिक पर क्लिक करने पर “बायोमेट्रिक मशीन पर आवेदक की फिंगर प्रिंट लगाकर आधार सर्वर से आवेदक की e-KYC की जानकारी प्राप्त करें”

आधार  वर्चुअल आईडी

- आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विधिष्ठ पहचान प्रधिकरण द्वारा जारी 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है।
- वर्चुअल आईडी (VID) एक अस्थायी, प्रतिस्तरणीय 16-अंकीय 'रैडम' संख्या है जिसे आधार संख्या के साथ मैप किया जाता है। जब भी प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी सेवाओं का प्रदर्शन होता है, तो आधार संख्या के बदले पीआईडी का उपयोग किया जा सकता है। आधार संख्या का उपयोग करने के समान तरीके से VID का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जा सकता है। से आधार संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है।

अपना आधार नंबर दर्ज करें

ओटीपी द्वारा  बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) द्वारा

- ✓ मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक, और/या पन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ की समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता/देती हूँ।

बायोमेट्रिक मशीन पर आवेदक की फिंगर प्रिंट लगाकर आधार सर्वर से आवेदक की EKYC की जानकारी प्राप्त करें

**चरण 12 :** आवेदक की उंगली को मशीन के लेंस पर रख कर फिंगर प्रिंट कैप्चर करें पर क्लिक का e-KYC की जानकारी प्राप्त करें”

अपना आधार नंबर दर्ज करें

ओटीपी द्वारा  बायोमेट्रिक (फिंगर प्रिंट) द्वारा

- ✓ मैं एतद् द्वारा ये घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे समग्र पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक, और/या पन-टाइम पिन (ओटीपी) डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी सहमति देता/देती हूँ की समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद् द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और/या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार ई-केवाईसी विवरण साझा करने की सहमति देता/देती हूँ।

फिंगर प्रिंट कैप्चर करने हेतु कम्प्यूटर से INSTALLED बायोमेट्रिक मशीन का चयन करें / कम्प्यूटर से बायोमेट्रिक मशीन INSTALLED न होने पर बायोमेट्रिक मशीन INSTALLED करें

बायोमेट्रिक मशीन पर आवेदक की फिंगर प्रिंट लगाकर आधार सर्वर से आवेदक की EKYC की जानकारी प्राप्त करें

आवेदक की उंगली को मशीन के लेंस पर रख फिंगर प्रिंट कैप्चर करें

**चरण 13 :** समग्र के अनुसार और आधार के अनुसार डाटा में समानता नहीं पाए जाने पर आवेदक की जानकारी दिखाई जाएगी।

### सदस्य की पहचान करने हेतु आधार से प्राप्त ई-केवाईसी की जानकारी

	समग्र के अनुसार	आधार के अनुसार	आधार के अनुसार सदस्य का फोटो
नाम	[Redacted]	[Redacted]	
लिंग	[Redacted]	[Redacted]	
जन्म तिथि	[Redacted]	[Redacted]	

घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक करें

हिन्दी में नाम बदलने के लिए यहाँ क्लिक करें

- मैं अपना नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता / चाहती हूँ, मैंने अपने ही समग्र आई डी में आधार लिंक किया है।
- क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं ?

आपका मोबाइल नंबर

स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजें

ग्राम पंचायत / वार्ड को अनुरोध भेजें

**चरण 14 :** आवेदक को द्वारा घोषणा चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, यदि आवेदक हिन्दी में नाम बदलवाना चाहता हैं तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर अपना नाम दर्ज कर सकता है।

मैं अपना नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को समग्र में आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता / चाहती हूँ, मैंने अपने ही समग्र आई डी में आधार लिंक किया है।

क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं ?

आवेदक का नाम

[Redacted] ✓

आपका मोबाइल नंबर

[Redacted]

अपना नाम हिंदी में दर्ज करें

अनुरोध भेजे

**चरण 15 :** अनुरोध भेजें पर क्लिक कर, ई-केवाईसी अनुरोध सत्यापन के लिए संबंधित वार्ड/ग्राम पंचायत को भेज दिया जायेगा।

**चरण 16 :** समग्र के अनुसार और आधार के अनुसार डाटा में समानता पाए जाने पर आवेदक को निम्न संदेश दिखाया जायेगा।

आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है यदि आप समग्र में उपलब्ध हिंदी का नाम बदलना चाहते हैं तो हाँ पर क्लिक करें अन्यथा नहीं पर क्लिक करके ईकेवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करें।

**सूचना :**

मैं समग्र आईडी के साथ आधार को लिंक कर सकता हूँ।

मैंने आधार से आप अपने नाम, जन्मतिथि एवं लिंग से परिवर्तित मेल और अनुरोध कर सकते हैं।

चरण 17 : आवेदक हिन्दी नाम में कर संशोधन कर जानकारी को अद्यतन कर सकता हैं।

क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं ?

आवेदक का नाम

आपका मोबाइल नंबर

[जानकारी अद्यतन करें](#)

चरण 18 : यदि हिन्दी नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तब जानकारी अद्यतन करें पर क्लिक कर निम्न संदेश दिखाया जायेगा।

## अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें

**Message**

No changes have been made to the Hindi name by you. The information is updated with the currently available Hindi name./आपके द्वारा हिंदी के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है वर्तमान में उपलब्ध हिंदी नाम के साथ जानकारी अद्यतन की जाती है!!!

[Close](#)

चरण 19: यदि आपके द्वारा अनुरोध भेज दिया गया हैं दोबारा ई-केवाईसी करने पर आपको नीचे दिया गया संदेश दिखाया जाएगा, यदि आवेदक पुराने अनुरोध को रद्द कर, हाँ पर क्लिक कर नया अनुरोध दर्ज कर सकता हैं , अन्यथा नहीं पर क्लिक कर इसी अनुरोध को जारी रख सकता है।

आपका पिछला आधार ई-केवाईसी अनुरोध पहले से ही प्रक्रिया में है।

S.No.	Request Id	Data as Per Previous Request	Request Date	Requested by
1				

क्या आप पिछले अनुरोध को रद्द कर एक नया अनुरोध जनरेट करना चाहते हैं।

[हाँ](#) [नहीं](#)